

अध्याय - 5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय-5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा की गई है जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है। वर्ष 2019-20 (अथवा पूर्व वर्षों के जिनको चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा संचालित इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव की भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होता है तथा इसमें वह कंपनी शामिल होती है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होती है।

5.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा, भारत के नि.म.ले.प. द्वारा नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नि.म.ले.प. कंपनियों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को बतौर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा उन्हें निर्देश देता है कि किस प्रकार लेखों को लेखापरीक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा के संचालन का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधानों के अनुसार उनके लेखे केवल नि.म.ले.प.¹ द्वारा लेखापरीक्षित कराया जाना आवश्यक होता है।

5.3 रा.सा.क्षे.उ. तथा राज्य के स.रा.घ.उ. में उनका योगदान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम शामिल होते हैं। रा.सा.क्षे.उ. जनकल्याण को ध्यान में

¹ दिल्ली परिवहन निगम का एकमात्र लेखापरीक्षक नि.म.ले.प. है।

रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए स्थापित किए जाते हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 31 मार्च 2020 को, दिल्ली में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दो² सांविधिक निगमों तथा 16 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे। इन रा.सा.क्षे.उ. के नाम तालिका 5.1 में दिए गए हैं:

तालिका 5.1: रा.सा.क्षे.उ.³ की सूची

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम
सरकारी कंपनियां	
वित्त	
1.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त विकास निगम लिमिटेड (दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि.,)
अवसंरचना	
2.	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (शा.पू.वि.नि.)
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि.)
पॉवर	
4.	इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (इं.पॉ.ज.कं.लि.)
5.	प्रगति पॉवर निगम लिमिटेड (प्र.पॉ.नि.लि.)
6.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (दि.ट्रां.लि.)
7.	दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड (दि.पॉ.कं.लि.)
8.	दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. एनर्जी लिमिटेड (दि.ए.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
सेवाएं	
9.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (दि.प.प.वि.नि.)
10.	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेन्ट लिमिटेड (दि.क्रि.आ.डें.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
11.	दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. लीकर लिमिटेड (दि.लि.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
12.	दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. अनुरक्षण सेवाएं लिमिटेड (दि.अ.से.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
13.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (दि.रा.ना.आ.नि.लि.)
14.	इंटेलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टमस इंडिया लिमिटेड (इं.क.सि.इं.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
15.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जि.दि.लि.)
परिवहन	
16.	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.प.अ.वि.नि.लि.)
सांविधिक निगम	
वित्त	
17.	दिल्ली वित्तीय निगम (दि.वि.नि.)
परिवहन	
18.	दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में रा.सा.क्षे.उ. की टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में रा.सा.क्षे.उ. की गतिविधियों का विस्तार दर्शाता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के लिए रा.सा.क्षे.उ. तथा स.रा.घ.उ. की टर्नओवर के विवरण तालिका 5.2 में दिए गए हैं।

² दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

³ एक कंपनी (एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड) को 2019-20 के लेखों से का.प्र.म.ले. (ले.प.) दिल्ली के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र से स्थानांतरित कर दिया गया है।

तालिका 5.2: रा.रा.क्षे.दि.स. के स.रा.घ.उ. की तुलना में रा.सा.क्षे.उ. के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
टर्नओवर	8,119.06	9,318.69	9,573.56
दिल्ली का स.रा.घ.उ.	6,86,824.00	7,74,870.00	8,56,112.00
दिल्ली के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की प्रतिशतता	1.18	1.20	1.12

स्रोत: टर्नओवर को रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियों के अनुसार लिया गया है तथा स.रा.घ.उ. को अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय से लिया गया है

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के दौरान इन रा.सा.क्षे.उ. के टर्नओवर में उनके नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 17.91 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। हालांकि स.रा.घ.उ. में रा.सा.क्षे.उ. का अंशदान नाम मात्र ही रहा।

5.4 रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता

5.4.1 इक्विटी होल्डिंग तथा रा.सा.क्षे.उ. में ऋण

राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 31 मार्च 2020 को दिए गए ऋणों सहित दीर्घावधि ऋणों को तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: 31 मार्च 2020 को रा.सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश ⁴ (₹ करोड़ में)				
	इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		कुल इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण
	कुल	राज्य सरकार	कुल	राज्य सरकार	
ऊर्जा	7,506.79	7,106.78	3,322.09	1,943.78	10,828.88
वित्त	71.68	51.38	99.63	86.48	171.31
सेवा	25.07	24.04	2.24	2.14	27.31
अवसंरचना	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00
परिवहन	1,994.50	1,994.50	11,676.14	11,676.14	13,670.64
कुल	9,619.04	9,197.70	15,100.10	13,708.54	24,719.14

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियाँ

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि रा.सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः परिवहन तथा ऊर्जा क्षेत्र पर था, जिससे ₹ 24,719.14 करोड़ के कुल निवेश का क्रमशः 55.30 प्रतिशत तथा 43.81 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

⁴ निवेश में इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

5.4.2 विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

वर्ष 2019-20 के दौरान, रा.सा.क्षे.उ. के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने रा.सा.क्षे.उ. में निवेशित राज्य सरकार इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति नहीं बनाई है।

5.5 रा.सा.क्षे.उ. से रिटर्न

5.5.1 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ

2019-20 में, 10 लाभ अर्जन करने वाले रा.सा.क्षे.उ.⁵ की तुलना में 2018-19 में आठ लाभ अर्जन रा.सा.क्षे.उ. थे। लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ 2018-19 में ₹ 894.74 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,123.10 करोड़ हो गया।

2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष पांच रा.सा.क्षे.उ. का विवरण तालिका 5.4 में दिया गया है।

तालिका 5.4: शीर्ष पांच रा.सा.क्षे.उ. जिसने अधिकतम लाभ का अंशदान दिया

रा.सा.क्षे.उ. का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ में लाभ की प्रतिशतता
दि.रा.औ.अ.वि.नि.	312.75	27.85
प्र.पॉ.का.लि.	264.38	23.54
इं.पॉ.ज.कं.लि.	190.93	17.00
दि.ट्रां.लि.	171.36	15.26
दि.पॉ.कं.लि.	126.87	11.29
कुल	1,066.29	94.94

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियाँ

2019-20 के दौरान, ₹ 1,066.29 करोड़ के निवल लाभ जो 10 रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ का 94.94 प्रतिशत था, जो इन पांच रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अंशदान किया गया था।

5.5.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा प्रदत्त लाभांश

रा.रा.क्षे.दि.स. ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी, जिसके अंतर्गत रा.सा.क्षे.उ. के लिए राज्य सरकार द्वारा अंशदान किये गये प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम रिटर्न का भुगतान करना आवश्यक होता। 13 में से किसी भी रा.सा.क्षे.उ.⁶ ने जिसमें राज्य सरकार ने निवेश किया था, लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था।

⁵ दि.रा.औ.अ.वि.नि., प्र.पॉ.का.लि., इं.पा.ज.कं.लि., दि.ट्रां.लि., दि.पॉ.का.लि., इं.क.सि.इं.लि., दि.रा.ना.आ.नि., दि.प.प.वि.नि., जि.दि.लि., दि.प.अ.वि.नि. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत एक रा.सा.क्षे.उ. (शा.पु.वि.नि.) गैर-लाभकारी कंपनी है।

⁶ दि.अ.जा.वि.वि.नि., शा.पु.वि.नि., दि.रा.औ.अ.वि.नि., इं.पॉ.ज.कं.लि., प्र.पॉ.कं.लि. दि.ट्रां.लि., दि.पॉ.कं.लि., दि.प.प.वि.नि., दि.रा.ना.आ.नि., जि.दि.लि., दि.प.अ.वि.नि., दि.वि.नि., दि.प.नि.

5.6 ऋण सेवाएँ

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर देय ब्याज के लिए कंपनी की योग्यता निश्चित करने हेतु किया जाता है तथा इसकी गणना कंपनी के अर्जन को उसी अवधि के ब्याज व्ययों द्वारा ब्याज और करों (ई.बी.आई.टी.) से पहले विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज के भुगतान की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से कम का ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी।

ऐसे रा.सा.क्षे.उ., जिनमें ब्याज का भार था, के ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण तालिका 5.5 में दिए गए हैं।

तालिका 5.5: रा.सा.क्षे.उ. का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज देयता (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर (ईबीआईटी) से पहले अर्जन (₹ करोड़ में)	उन रा.सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके ऊपर सरकार तथा अन्य वित्त संस्थानों से ब्याज देयता है	1 से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2017-18	4,452.87	1,853.94	8	6	2
2018-19	5,005.46	1,645.16	6	3	3
2019-20	5,701.94	1,382.53	6	3	3

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणी

यह पाया गया कि तीन रा.सा.क्षे.उ.⁷ में 2019-20 के दौरान, ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। तीन⁸ रा.सा.क्षे.उ. में 2019-20 के दौरान, ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये रा.सा.क्षे.उ. ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

5.7 रा.सा.क्षे.उ. का निष्पादन

5.7.1 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (नि.पू.प.रि.) एक अनुपात है, जो कंपनी की लाभदायिकता तथा दक्षता को मापता है जिससे इसकी पूंजी नियोजित की

⁷ दि.ट्रां.लि., इ.पॉ.ज.कं.लि., प्र.पॉ.का.लि.

⁸ दि.अ.जा.वि.वि.नि., दि.वि.नि., दि.प.नि.

जाती है। नि.पू.प.रि. की गणना नियोजित पूंजी⁹ द्वारा ब्याज तथा करों (ई.बी.आई.टी.) से पहले कंपनी के अर्जन को विभाजित करके की जाती है। 13 रा.सा.क्षे.उ., जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान निवेश किया था, के नि.पू.प.रि. के विवरण तालिका 5.6 में दिए गए हैं।

तालिका 5.6: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नि.पू.रि. (प्रतिशत में)
2017-18	1,969.95	-1,605.81	-122.68
2018-19	2,036.61	-6,198.10	-32.86
2019-20	2,022.62	-11,192.35	-18.07

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणी

यह पाया गया था कि नि.पू.प.रि. सभी वर्षों में नकारात्मक था।

5.7.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (इ.प.रि.) यह निर्धारण करने हेतु वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है कि कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी उपयोग लाभ सृजन के लिए किया जा रहा है। इ.प.रि. की गणना, शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात् करों के पश्चात निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है। यदि निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि दोनों घनात्मक संख्याएं हैं।

शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी तथा निःशुल्क आरक्षणों को जमा करके उसमें से निवल संचित हानियाँ तथा आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है और इससे पता चलता है कि कंपनी के शेयरधारकों के लिए कितनी निधि बच जाएगी, यदि सभी परिसंपत्तियों की बिक्री हो जाए तथा सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए। एक घनात्मक शेयरधारक निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी का तात्पर्य देयताओं का परिसंपत्तियों से अधिक होना है।

⁹ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिजर्व व अधिशेष+ दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय

रा.रा.क्षे.दि.स. निवेश के साथ, 13 रा.सा.क्षे.उ. से संबंधित शेयरधारकों की निधि के विवरण तालिका 5.7 में दिये गये हैं।

तालिका 5.7: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा रा.सा.क्षे.उ. में लगाई गई, निधियों से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इ.प.रि. (प्रतिशत)
2017-18	-2,895.56	-18,616.67	-
2018-19	-3,489.59	-22,120.85	-
2019-20	-4,175.27	-26,292.35	-

जैसा कि, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. की निवल आय ऋणात्मक थी, इसलिए ई.प.रि. की गणना नहीं की जा सकती थी। 2017-18 से 2019-20 के सभी वर्षों के लिए निवल आय दि.प.नि. द्वारा अपने नवीनतम अंतिम खाते के अनुसार भारी हानियों के कारण नकारात्मक थी, जिसने अन्य रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभों को ही मिटा दिया। शेयरधारकों की निधि मुख्यतः दि.प.नि. की संचित हानियों के कारण नकारात्मक थी जिसने अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार इसे ₹ 38,753.47 करोड़ तक बढ़ा दिया था।

5.7.3 निवेश पर रिटर्न

निवेश पर रिटर्न कुल निवेश में लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। राज्य के 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से रा.रा.क्षे.दि.स. ने केवल 13 रा.सा.क्षे.उ. में निधियों को इक्विटी, ऋणों व अनुदानों/सब्सिडी के रूप में लगाया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने बचे हुए पांच¹⁰ रा.सा.क्षे.उ. में कोई प्रत्यक्ष निधि नहीं लगाई थी।

रा.सा.क्षे.उ. से निवेश पर रिटर्न की गणना, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा रा.सा.क्षे.उ. में इक्विटी तथा ऋणों के रूप में किए गए निवेश से की गई है। ऋणों के मामले में केवल ब्याज मुक्त ऋणों को निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है और इसलिए सरकार द्वारा ये इक्विटी निवेश की प्रकृति के होते हैं उस सीमा को छोड़कर कि ऋणों को पुनर्भुगतान के नियमों तथा शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन तथा परिचालन व्ययों के अलावा अन्य

¹⁰ दि.ए.लि., दि.क्रि.आ.डे. ई.डी.सी.ए.डी., दि.अ.से.लि. तथा दि.लि.लि., दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनियां हैं, जिसने उनकी पूंजी में अंशदान किया था। इसके अतिरिक्त, इ.क.सि.इं.लि.के मामले में दि.रा.औ.अ.वि.नि., टी.सी.आई.एल.तथा अन्य दो कम्पनियों ने पूंजी लगाई थी।

के लिए अनुदानों/सबसिडी के रूप में उपलब्ध निधियों को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश की तरह विचार किए जाने योग्य नहीं है।

5.7.4 सरकारी निवेशों पर रेट ऑफ रियल रिटर्न (आर.ओ.आर.आर.)

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 13 रा.सा.क्षे.उ. में महत्वपूर्ण निवेश की दृष्टि से ऐसे निवेश पर रिटर्न राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य से आवश्यक है जिसकी गणना धन के वर्तमान मूल्य (व.मू.) को ध्यान में रखकर की गई है। सरकारी निवेशों के व.मू. की गणना निवेशों के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में राज्य के रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेशों के व.मू. पर रिटर्न के रेट के आकलन हेतु की गई है। 31 मार्च 2020 तक, प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके व.मू. पर लाने के लिए रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किये गये पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारियों पर ब्याज की वर्षवार औसत दर पर संयुक्त किया गया है, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत माना जाता है। इसलिए रा.रा.क्षे.दि.स. निवेश के व.मू. की गणना की गई है, जहां निधियों को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 2002-03¹¹ से 31 मार्च 2020 तक परिचालन एवं प्रबंधन व्ययों के लिए इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋणों व अनुदानों तथा सब्सिडी के रूप में निवेशित किया गया है।

रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के व.मू. की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई:

- प्रबंधन तथा परिचालन व्ययों के अलावा अन्य के लिए अनुदानों/सबसिडी के रूप में उपलब्ध निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष¹² के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर का व.मू. निकालने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में लिया गया क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश में सरकार द्वारा किए गए खर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न के न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया था।

2002-03 से 31 मार्च 2020 तक, 13 रा.सा.क्षे.उ. से संबंधित रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के व.मू. की समेकित स्थिति तालिका 5.8 में इंगित है।

¹¹ रा.सा.क्षे.उ. से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार

¹² सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को, संबंधित वर्ष के राज्य वित्त (रा.रा.क्षे.दि.स.) पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों से लिया गया था।

तालिका 5.8: 2002-03 से 2019-20 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश के वर्ष-वार विवरण तथा सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य (व.मू.)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा संचारित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन व प्रबंधन व्ययों के लिए अनुदान तथा सबसिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों के खर्च की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii	ix=(vii*(1+viii)/100}	x=(viii*vii)/100}	xi
2002-03	183.06 ¹³	324.41	0.00	0.20	324.61	507.67	11.17	564.38	56.71	-1,872.94
2003-04	564.38	0.00	0.00	0.20	0.20	564.58	10.65	624.70	60.13	-534.27
2004-05	624.70	0.00	0.00	0.20	0.20	624.90	10.34	689.52	64.62	-1,375.28
2005-06	689.52	0.00	0.00	130.87	130.87	820.39	8.87	893.16	72.77	-1,859.78
2006-07	893.16	3.11	0.00	42.07	45.18	938.34	9.35	1,026.07	87.73	-864.09
2007-08	1,026.07	4,471.80	0.00	33.56	4,505.36	5,531.43	9.84	6,075.73	544.29	-1,749.46
2008-09	6,075.73	715.19	0.00	19.25	734.44	6,810.17	9.90	7,484.37	674.21	-1,672.67
2009-10	7,484.37	1,128.25	0.00	96.25	1,224.50	8,708.87	9.52	9,537.96	829.08	-1,788.68
2010-11	9,537.96	464.00	0.00	402.98	866.98	10,404.94	9.10	11,351.79	946.85	-1,557.81
2011-12	11,351.79	665.48	40.00	764.59	1,470.07	12,821.86	9.77	14,074.55	1,252.70	-1,969.18
2012-13	14,074.55	498.55	50.00	1,310.54	1,859.09	15,933.64	9.73	17,483.98	1,550.34	-1,775.75
2013-14	17,483.98	745.00	1.00	1,409.70	2,155.70	19,639.68	9.21	21,448.50	1,808.81	-2,034.69
2014-15	21,448.50	-1.15	7.00	1,438.75	1,444.60	22,893.10	8.59	24,859.62	1,966.52	-942.51
2015-16	24,859.62	0.00	0.00	1,416.93	1,416.93	26,276.55	8.54	28,520.56	2,244.02	-2,049.81
2016-17	28,520.56	0.00	0.00	1,792.66	1,792.66	30,313.22	8.65	32,935.32	2,622.09	-2,867.88
2017-18	32,935.32	0.00	0.00	2,079.72	2,079.72	35,015.04	8.58	38,019.33	3,004.29	-2,895.56
2018-19	38,019.33	0.00	0.00	1,894.52	1,894.52	39,913.85	8.64	43,362.40	3,448.56	-3,489.59
2019-20	43,362.40	0.00	0.00	2,036.00	2,036.00	45,398.40	8.14	49,093.83	3,695.43	-4,175.27
कुल		9,014.64	98.00	14,868.99	23,981.63					

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंधित वर्षों के वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी

इन 13 रा.सा.क्षे.उ. में वर्ष के अंत में रा.रा.क्षे.दि.स. का इक्विटी निवेश 2002-03 में ₹ 507.67 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 9,197.70 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2020 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेशों का व.मू.

¹³ वर्ष 2001-02 तक 13 रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किए गए निवेश का अंतिम शेष

₹ 49,093.83 करोड़ परिकल्पित किया गया। तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनियों का कुल अर्जन 2002-03 से 2019-20 तक की पूरी अवधि के दौरान न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न की अपेक्षा कम रह गया है।

5.8 रा.सा.क्षे.उ. में हानियों का होना

5.8.1 हानियाँ हुईं

सात¹⁴ रा.सा.क्षे.उ. ऐसे थे जिसमें उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार मार्च 2020 के अंत में हानियाँ हुई थी। उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार इन हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा होने वाली हानियाँ 2017-18 में ₹ 3,859.78 करोड़ तथा 2018-19 में ₹ 4,386.79 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 5,294.16 करोड़ हो गईं जैसाकि तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9: रा.सा.क्षे.उ. की संख्या जिनमें हानियाँ हुईं

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य ¹⁵
2017-18	9 ¹⁶	3,859.78	-29,103.14	-26,836.33
2018-19	11 ¹⁷	4,386.79	-32,499.28	-29,436.93
2019-20	7 ¹⁸	5,294.16	-38,741.28	-36,685.71

2019-20 के दौरान, इन सात हानि-वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा की गई ₹ 5,294.16 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 5,280.55 करोड़ (99.74 प्रतिशत) की हानि अकेले दिल्ली परिवहन निगम को हुई थी।

दि.प.नि. द्वारा उठाई गई हानियाँ मुख्य रूप से नवम्बर 2009 से किराए में संशोधन न करने, ए.एम.सी. लागत में वृद्धि तथा दि.प.नि. के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण थी। परिणामस्वरूप, दि.प.नि. न तो रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ऋण चुकाने की स्थिति में है न ही उस पर ब्याज चुकाने की स्थिति में है। 2011-12 से रा.रा.क्षे.दि.स., दि.प.नि. को वित्तीय सहायता के रूप में सहायता

¹⁴ शा.पु.वि.नि. ने 2019-20 में कोई लाभ/हानि अर्जित नहीं की अतः, इसे हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. में नहीं माना गया।

¹⁵ निवल मूल्य का अर्थ है कुल प्रदत्त शेयर पूंजी तथा फ्री रिजर्व व अधिशेष का जोड़, घटा संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय। फ्री रिजर्व का अर्थ है लाभ तथा शेयर प्रीमियम खाता से बने सभी रिजर्वस, परन्तु इसमें परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन में से उत्पन्न रिजर्वस तथा मूल्यहास प्रावधान, का राईट बैंक शामिल नहीं है।

¹⁶ दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार सहायक कंपनियां, शा.पु.वि.नि., दि.प.नि., दि.रा.ना.आ.नि., एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

¹⁷ दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार सहायक कंपनियां, शा.पु.वि.नि., दि.प.नि., एन.डी.एम.सी. स्टार्म सिटी, इं.पॉ.ज.कं.लि., दि.वि.नि., दि.रा.औ.अ.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

¹⁸ दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार सहायक कंपनियां, दि.प.नि., दि.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

अनुदान (स.अ.) जारी कर रहा है। दि.प.नि. ने 2011-20 के दौरान ₹ 11,766 करोड़ की राशि का स.अ. प्राप्त किया था। 2011 से पहले, दि.प.नि. ने रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 11,676 करोड़ का ब्याज सहित ऋण प्राप्त किया था। मार्च 2019 तक, संचित ब्याज राशि ₹ 26,070 करोड़ थी। इस प्रकार ₹ 38,753 करोड़ की कुल संचित हानियों (मार्च 2019 तक) का 67 प्रतिशत अर्थात् ₹ 26,070 करोड़ संचित ब्याज के कारण था।

दि.प.नि. ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु दिल्ली सरकार को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया (2016) जो अभी भी (जून 2021) लंबित था।

क. ₹ 511 करोड़ के बकाया योजना ऋण को इक्विटी में बदलना।

ख. ₹ 11,165 करोड़ के बकाया गैर योजना ऋण को स.अ. में बदलना तथा ₹ 16,330.59 करोड़ के संचित ब्याज (31 मार्च 2017 तक) को स.अ. में बदलना।

ग. किरायों का संशोधन क्योंकि 1.11.2009 से कोई संशोधन नहीं हुआ था।

5.8.2 रा.सा.क्षे.उ. में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2020 तक ₹ 40,483.26 करोड़ की संचित हानियों वाले तीन रा.सा.क्षे.उ. थे, जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने इक्विटी तथा ऋणों का निवेश किया था। इन तीन रा.सा.क्षे.उ. में एक रा.सा.क्षे.उ. की हानियाँ ₹ 5,280.55 करोड़ थी तथा दो¹⁹ रा.सा.क्षे.उ. में हानि नहीं हुई थी, हालांकि उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार उनकी संचित हानि ₹ 1,729.79 करोड़ थी।

इन तीन रा.सा.क्षे.उ. में से दो²⁰ का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह समाप्त हो गया था तथा उनका निवल मूल्य नकारात्मक था। इन दो सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य 31 मार्च 2020 को ₹ 2,728.90 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹ 37,124.89 करोड़ था। दो रा.सा.क्षे.उ., जिसकी पूंजी का क्षरण हो चुका था (शून्य या नकारात्मक निवल मूल्य होने के कारण), में से एक²¹ रा.सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 126.87 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। तीन रा.सा.क्षे.उ. में से दो जिनकी पूंजी का क्षरण हो चुका था, का 31 मार्च 2020 के ₹ 12,341.42 करोड़ की राशि के सरकारी ऋण बकाया थे।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा (7) के अंतर्गत नि.म.ले.प., सरकारी कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है। नि.म.ले.प. को

¹⁹ दि.पॉ.कं.लि. तथा दि.ट्रां.लि.

²⁰ दि.पॉ.कं.लि. तथा दि.प.नि.

²¹ दि.पॉ.कं.लि.

पूरक लेखापरीक्षा संचालित करने तथा उस पर टिप्पणियां अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने का अधिकार है। विधि शासित कुछ निगमों के लिए आवश्यक है कि उनके लेखे नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित किए जाए तथा इसका प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किया जाए।

5.10 नि.म.ले.प. द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि एक सरकारी कंपनी के मामले में नि.म.ले.प. द्वारा वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के लिए उपरोक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों को 2019 के दौरान नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया गया था।

5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 सामयिक प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी की कार्यप्रणाली एवं कार्य पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उसके वार्षिक आम बैठक²² (वा.आ.बै.) के तीन महीनों के भीतर तैयार किए जाने होते हैं। इस तरह की तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपि तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा उसके पूरक के रूप में नि.म.ले.प. की टिप्पणियों सहित विधान सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वा.आ.बै. आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक वा.आ.बै. और अगली बैठक की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कथित वा.आ.बै. में उनके विचारार्थ रखा जाना होता है।

²² पहली वा.आ.बै. के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर तथा अन्य किसी मामले में वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से छः महीने के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर तक की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर दण्ड तथा कारावास जैसे जुर्माने के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

31 दिसम्बर 2020 को विभिन्न रा.सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे लम्बित थे, जिनका विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में है।

5.11.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा लेखे तैयार करने की सामयिकता

31 मार्च 2020 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा की परिधि के अंतर्गत 16 सरकारी कंपनियां थीं। इनमें से, वर्ष 2019-20 के लिए 16 सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। हालांकि, केवल 11 सरकारी कंपनियों ने अपने लेखे 31 दिसम्बर 2020²³ तक नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए। पांच सरकारी कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कंपनियों के लेखों की प्रस्तुति में बकायों के विवरण तालिका 5.10 में दिये गये हैं।

तालिका 5.10: सरकारी कंपनियों के लेखों की प्रस्तुति में बकाया के विवरण

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ	
31.03.2020 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा परिधि के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या	16	
घटा: नई कंपनियां जिनके 2019-20 के लेखे बकाया नहीं थे	0	
कंपनियों की संख्या जिनके 2019-20 के लेखे बकाया थे	16	
कंपनियों की संख्या जिन्होंने 31 दिसम्बर 2020 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए	11	
बकाया लेखों की संख्या (05 ²⁴ सरकारी कंपनियां)	11	
बकायों का ब्रेक अप	(i) परिसमापन के अंतर्गत	-
	(ii) निष्क्रिय	-
	(iii) अन्य	11
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकायों का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2019-20)	4
	दो वर्ष (2018-19 तथा 2019-20)	-
	तीन वर्ष तथा अधिक	1 ²⁵

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में सामयिकता

दो सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। वर्ष 2019-20 के लिए दो सांविधिक निगमों में से दि.वि.नि. के लेखे लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसम्बर 2020 से पहले प्रस्तुत किए गए जबकि दि.प.नि. के लेखे वर्ष 2019-20 के लिए बकाया थे।

²³ भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 17 अगस्त 2020 के आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनियों की वा.आ.बै. रखने की तारीख 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाई गई।

²⁴ प्र.पा.कं.लि., दि.रा.ना.आ.नि., इं.क.सि.इं.लि., दि.प.अ.वि.नि., दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

²⁵ 2013-14 से दि.अ.जा.वि.वि.नि. के सात लेखे बकाया थे।

5.12 नि.म.ले.प. की निरीक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से वित्तीय विवरणी तैयार करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करने की आवश्यकता है। सांविधिक निगमों के लिए आवश्यक है कि वे अपने लेखे नि.म.ले.प. के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत तैयार करें।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं तथा अपनी रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार प्रस्तुत करते हैं।

नि.म.ले.प. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका अदा करता है जिसका समग्र उद्देश्य है कि सांविधिक लेखापरीक्षक अपने निर्धारित कार्यों को ठीक से और प्रभावी ढंग से करें। इस कार्य का निर्वहन, शक्ति के प्रयोग द्वारा किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना तथा
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक अथवा टिप्पणी

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में मुख्य उत्तरदायित्व, निकाय के प्रबंधन का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा नि.म.ले.प. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर

आधारित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि.म.ले.प. को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों की समीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत वा.आ.बै. में रखने के लिए सूचित किया जाता है।

5.13 नि.म.ले.प. की निरीक्षण भूमिका का परिणाम

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

31 दिसम्बर 2020 तक 16 सरकारी कंपनियों²⁶ से वर्ष 2019-20 तथा पूर्व वर्षों के लिए 19 वित्तीय विवरणियाँ प्राप्त की गईं। नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा में रा.सा.क्षे.उ. की 13 वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की गई तथा छः रा.सा.क्षे.उ. को गैर समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया। समीक्षा के परिणामों को नीचे वर्णित किया गया है:

5.13.2 वित्तीय विवरणियों का संशोधन

2019-20 के दौरान, वा.आ.बै. में रखने से पहले किसी सरकारी कंपनी का उनके वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई मामला नहीं था।

5.13.3 लेखापरीक्षक रिपोर्ट का परिशोधन

2019-20 के दौरान, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, नि.म.ले.प. द्वारा संचालित सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परिशोधन का कोई मामला नहीं था।

5.13.4 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी नि.म.ले.प. की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2019-20 और पूर्व वर्षों के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद नि.म.ले.प. ने 13 सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा को संचालित किया। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणियों पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जारी की गयीं

²⁶ 2018-19 के लिए एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक लेखा प्राप्त हुआ तथा 2020 के दौरान लेखापरीक्षित किया गया। यह कंपनी इस कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र से स्थानांतरित हो चुकी है।

जिसका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 10.67 करोड़ तथा परिसंपत्तियाँ/ देयताओं पर ₹ 103.16 करोड़ था, का विवरण तालिका 5.11 तथा तालिका 5.12 में दिया गया है।

तालिका 5.11: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	प्र.पॉ.कॉ.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> प्र.पॉ.कॉ.लि. ने न तो लेखांकन नीति 11.1 का पालन किया है न ही आईएनडी एस-10 का पालन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.30 करोड़ तक एनर्जी की बिक्री को कम बताया गया तथा उसके फलस्वरूप ₹ 5.73 करोड़ तक लाभ तथा अन्य इक्विटी व ₹ 1.57 करोड़ तक कर व्ययों को कम बताया गया।
2	इं.पॉ.ज.कं.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> इं.पॉ.ज.कं.लि. ने अपनी लेखांकन नीति 12.1 का पालन नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 12.86 करोड़ तक परिचालनों से राजस्व को अधिक बताया गया तथा इसके फलस्वरूप, वर्ष के लिए उतनी ही राशि की हानि को कम बताया गया।
3	दि.प.अ.वि.नि. (2016-17)	<ul style="list-style-type: none"> दि.प.अ.वि.नि. ने आई.एस.बी.टी. कश्मीरी गेट के नवीकरण के लिए परिवहन विभाग से ₹ 70.00 करोड़ का ऋण प्राप्त किया, जिसका पुनर्भुगतान मार्च 2017 में किया गया। पुनर्भुगतान में विलम्ब के कारण ₹ 5.68 करोड़ का दण्डात्मक ब्याज देय था, परन्तु कंपनी ने केवल ₹ 0.85 करोड़ बुक किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.83 करोड़ का लाभ अधिक बताया गया। यह टिप्पणी 2017-18 के लेखों में दोहराई गयी थी।
4	दि.प.अ.वि.नि. (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> दि.प.अ.वि.नि. ने ₹ 3.23 करोड़ की वित्तीय लागत (आयकर से संबंधित ब्याज ₹ 2.75 करोड़ तथा जी.पी.एफ. से संबंधित ब्याज-₹ 0.48 करोड़) को गलत तरीके से शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप, वित्त लागत को ₹ 3.73 करोड़ अधिक तथा ₹ 2.75 करोड़ के अन्य व्ययों तथा ₹ 0.48 करोड़ के कर्मचारी लाभ को कम बताया गया।
5	दि.प.अ.वि.नि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> विज्ञापन एजेंसियों से वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क के गैर-सम्मिलन के कारण लाभ को ₹ 1.48 करोड़ कम बताया गया।
6	दि.रा.औ.अ.वि.नि. (2019-20)	<ul style="list-style-type: none"> 2013-14 में, डी.एम.आर.सी. को 6.253 वर्ग मीटर की पार्सल भूमि के हस्तांतरण/बिक्री से होने वाले ₹ 4.64 करोड़ के राजस्व को दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने बुक नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, 'परिचालनों से राजस्व' तथा 'लाभ' को कम और 'अन्य देयताओं' को ₹ 4.64 करोड़ अधिक बताया गया।

तालिका 5.12: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	इं.पॉ.ज.कं.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> इं.पॉ.ज.कं.लि. ने अपने गैस टरबाइन पावर स्टेशन प्लांट के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए डी.ई.आर.सी. द्वारा जारी डू-अप आर्डर के प्रभाव को मान्यता नहीं दी है, परिणामस्वरूप परिचालनों से राजस्व, अन्य इक्विटी और व्यापार प्राप्तियों को अधिक तथा वर्ष की हानि को ₹ 12.86 करोड़ कम बताया गया।
2	दि.रा.औ.अ.वि.नि. (2019-20)	<ul style="list-style-type: none"> दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने ₹ 1.28 करोड़ की देयता, जो फरवरी 2019 में घोषित उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नरेला औद्योगिक क्षेत्र के रियायतग्राही को देय थी, के लिए प्रावधान नहीं किया था। देयता के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता व व्यय को कम बताने के साथ-साथ लाभ को ₹ 1.28 करोड़ अधिक बताया गया।

3	दि.अ.जा.वि.वि.नि. (2009-10)	<ul style="list-style-type: none"> दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने रोहिणी में अपने कॉरपोरेट कार्यालय में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु एपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन केन्द्र (ए.ट्रे.डि.के.) को आगे संचरण हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 30.00 लाख का सहायता अनुदान प्राप्त किया। दि.अ.जा.वि.वि.नि.ने दिसम्बर 2007 में यह राशि ए.ट्रे.डि.के. को संवितरित की तथा इसे व्यय के प्रति अग्रिम के रूप में बुक किया। हालांकि, ए.ट्रे.डि.के. ने किए गए व्यय के समर्थन में कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया और न उसे समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.00 लाख व्यय के प्रति सहायता अनुदान तथा अग्रिम को अधिक बताया गया। इस टिप्पणी को 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षों में भी जारी किया गया था।
4	दि.अ.जा.वि.वि.नि. (2010-11)	<ul style="list-style-type: none"> दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों से संबंधित युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कराने हेतु अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्य./ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभाग से अनुदान प्राप्त किए। परन्तु कंपनी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसके लिए ₹ 13.42 लाख की राशि के बिल प्राप्त हुए थे, के संबंध में प्राप्त अनुदानों के प्रति किसी देयता का निर्वहन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, सहायता अनुदान को अधिक तथा वर्तमान देयताओं व प्रावधानों को ₹ 13.42 लाख कम बताया गया।
5	दि.अ.जा.वि.वि.नि. (2011-12)	<ul style="list-style-type: none"> दिल्ली वित्तीय निगम से किराया, ब्याज इत्यादि के कारण वसूलने योग्य ₹ 2.28 करोड़ की राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों के बजाय दीर्घावधि ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्गत बुक किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.28 करोड़ से दीर्घावधि ऋणों को अधिक तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को कम बताया गया। दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने उन लाभकारियों, जिनकी या तो मृत्यु हो गई थी या उनके ठिकाने उपलब्ध नहीं थे, को देय ₹ 2.73 करोड़ के संबंध में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.73 करोड़ से दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों को अधिक तथा संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को कम बताया गया।
6	दि.ट्रां.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> दि.ट्रां.लि. ने तुंगलकाबाद में 220/66 के.वी./जी.आई.एस. सब-स्टेशन पर काम के लिए अग्रिम रूप में, ₹ 119.78 करोड़ का भुगतान किया। जिसे 5 नवम्बर 2018 को चालू किया गया, परन्तु कंपनी ने केवल 2018-19 में ₹ 54.25 करोड़ के कार्य को पूंजीकृत किया परिणामस्वरूप प्लॉट एवं मशीनरी को ₹ 65.53 करोड़ कम तथा अग्रिमों को अधिक बताया गया। फलस्वरूप मूल्यहास को ₹ 1.59 करोड़ कम तथा लाभ को उतनी राशि से अधिक बताया गया।

		<ul style="list-style-type: none"> • दि.ट्रां.लि.ने रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ऋण पर ब्याज लागत होने के कारण ₹ 44.25 करोड़ को पूंजीकृत किया तथा ₹ 20.64 करोड़ की राशि का मूल्यहास प्रभारित किया जो आईएनडी एस-23 के अनुरूप नहीं था क्योंकि इस ब्याज राशि का कोई भुगतान 31-3-2019 तक नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, मूल्यहास को ₹ 20.64 करोड़ तथा संपत्ति, प्लांट एवं उपस्कर को ₹ 23.61 करोड़ अधिक तथा वित्त लागत को ₹ 44.25 करोड़ कम बताया गया। • जुलाई 2010 में, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ₹ 412.38 करोड़ के बकाया ऋण के ब्याज का हिस्सा होने के कारण ₹ 44.25 करोड़ की अन्य वित्तीय देयताएं शामिल है। इसमें से ₹ 239 करोड़ को जुलाई 2010 में इक्विटी में बदल दिया गया तथा ₹ 173.38 करोड़ के ऋण की शेष राशि का दिसम्बर 2010 में पुनर्भुगतान किया गया था। कंपनी ने वर्ष 2010-11 के लिए, लेखों में इस ऋण पर रा.रा.क्षे.दि.स. को देय ₹ 44.25 करोड़ के ब्याज की गणना की, हालांकि, दि.ट्रां.लि. ने न तो 31-3-2019 तक ₹ 44.25 करोड़ के बकाया ब्याज का भुगतान किया न ही ₹ 44.25 करोड़ के ब्याज पर 2.75% प्र.व. की दर से ₹ 10.72 करोड़ की दण्डात्मक ब्याज देयता का भुगतान/निर्वहन किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 10.72 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज देयता तथा वित्त लागत को कम बताया गया।
7	दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> • दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. ने ₹ 15,566 प्रति वर्ग मी. की अधिसूचित दरों पर भोरगढ़ में प्लाट बेचें जबकि प्लाटों की सूची को ₹ 42,164 प्रति वर्ग मी. की दर से लेखाबद्ध किया गया था। आईएनडी एस-2 के अनुसार स्टॉक को कम से कम लागत पर तथा निवल वसूली मूल्य पर मापा जाता है। अधिसूचित दरों पर स्टॉक के गैर-मूल्यांकन के परिणामस्वरूप स्टॉक को ₹ 111.68 करोड़ अधिक बताया गया। • रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में तुलन पत्र की तारीख से अगले तीन महीने से अधिक की परिपक्वता तिथि वाले ₹ 2,410 करोड़ की सावधिक जमा राशि शामिल है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के आईएनडी एस 7 तथा डिविजन-II-आईएनडी एस अनुसूची III के मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुरूप नहीं है जो निर्दिष्ट करता है कि ऐसी जमाओं को अन्य बैंक शेषों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2,410 करोड़ रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में अधिक बताया गया तथा अन्य बैंक शेषों में कम बताया गया। • ऋण में ₹ 292.51 करोड़ जिसमें अग्रिम आय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के शेष, वसूली योग्य सेवा कर, बिक्री कर/वसूली योग्य वैट इत्यादि शामिल है। आईएनडी एस 32 के परिशिष्ट ए के पैरा एजी 12 के अनुसार, देयताएं अथवा परिसंपत्तियां जो संविदात्मक नहीं हैं, वित्तीय देयताएं अथवा

		<p>वित्तीय परिसंपत्तियां नहीं हैं जबकि ये अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रकृति के हैं। इस प्रकार, गैर-संविदात्मक, परिसंपत्तियों को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप ₹ 292.51 करोड़ की वर्तमान परिसंपत्तियों-वित्तीय परिसंपत्तियों (ऋण एवं अग्रिम) को अधिक बताया गया तथा अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों को कम बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • व्यापार देय में विभिन्न मंडलों से संबंधित ₹ 1.80 करोड़ शामिल है जो पांच वर्ष से अधिक समय से लेखा पुस्तकों में पड़े थे, जिसके लिए कोई वैधानिक दायित्व लंबित नहीं था। इसलिए इन देयताओं को वापिस लिखा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.80 करोड़ के वर्तमान देयताओं को अधिक तथा कुछ सीमा तक आय को कम बताया गया। इस टिप्पणी को 2019-20 में भी जारी किया गया था।
8	दि.प.अ.वि.नि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> • रियायतग्राही के संदर्भ में संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान न करने के कारण व्यापार प्राप्तियों को ₹ 25.63 करोड़ अधिक बताया गया।

5.13.5 सांविधिक निगम जहां नि.म.ले.प. एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगम, जहां नि.म.ले.प. एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है, के लेखों पर नि.म.ले.प. द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिसका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 1,297.24 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 925.57 करोड़ था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वैधानिक निगमों के वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों का प्रभाव दिल्ली परिवहन निगम (2017-18)

- 31 मार्च 2018 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ग्रेच्युटी देयता के लिए ₹ 906.98 करोड़ का प्रावधान था लेकिन दि.प.नि. ने केवल ₹ 58.63 करोड़ बुक किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 848.35 करोड़ की सीमा तक की ग्रेच्युटी के प्रावधान को कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (इं.गै.लि.) को ₹ 16.51 करोड़ के देय ब्याज के लिए देयता प्रदान नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को ₹ 16.51 करोड़, पूर्व अवधि समायोजन लेखा को ₹ 16.01 करोड़ तथा परिचालन व्ययों को ₹ 0.50 करोड़ कम बताया गया।

- दि.प.नि. ने बतौर बस स्टैण्ड फीस, दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को देय ₹ 1.28 करोड़ की देयता प्रदान नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं, परिचालन व्यय और निवल हानि को ₹ 1.28 करोड़ कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने सेवा कर विभाग द्वारा उत्थित ₹ 7.19 करोड़ की मांग के लिए देयता प्रदान नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप निवल हानि, अन्य देयताओं एवं व्यय को ₹ 7.19 करोड़ कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने जुलाई 2017 से ₹ 13.16 करोड़ की सी.एन.जी. की पुनरीक्षित/संशोधित दरों में अंतर के लिए देयता प्रदान नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा परिचालन व्ययों को ₹ 13.16 करोड़ कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (दि.प.प.वि.नि.) से हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ बसों की पार्किंग के लिए बतौर किराए/बिजली/पानी शुल्क के ₹ 2.40 करोड़ के प्राप्य को दिखाया था। हालांकि, दि.प.प.वि.नि. ने लिखित अनुबंध के अभाव का हवाला देते हुए केवल ₹ 0.44 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। इसके परिणामस्वरूप, विविध देनदारों और अन्य प्राप्य तथा आय को ₹ 1.96 करोड़ अधिक बताया गया।
- दि.प.नि. ने विविध देनदारों तथा अन्य प्राप्यों के अंतर्गत क्लस्टर बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग को दिए गए स्थान/क्षेत्र के कारण 31 मार्च 2018 तक परिवहन विभाग से प्राप्य के रूप में ₹ 118.68 करोड़ को शामिल किया था। हालांकि, दि.प.नि. के संपदा विभाग के अभिलेखों के अनुसार ₹ 118.68 करोड़ के बजाय ₹ 124.11 करोड़ वसूली योग्य थे, जिसके परिणामस्वरूप विविध देनदार एवं अन्य प्राप्य तथा आय को ₹ 5.43 करोड़ कम बताया गया।

दिल्ली वित्तीय निगम (2018-19)

- दि.वि.नि. ने बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ₹ 42.55 करोड़ की दि.वि.नि. कर्मचारी पेंशन निधि के प्रति देयता प्रदान नहीं की थी।

वैधानिक निगमों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

दिल्ली परिवहन निगम (2017-18)

- दि.प.नि. कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट ने, एसबीआई जीवन बीमा कंपनी द्वारा मूल्यांकन किए गए ₹ 1,203.58 करोड़ की पेंशन देयता को न्यूनतम बीमांकिक मूल्यांकन के मुकाबले कोरपस फण्ड में ₹ 16.60 करोड़ की शेष राशि को दर्शाया है। इस प्रकार इसमें ₹ 1,186.98 करोड़ की कमी है जिसे दि.प.नि. द्वारा पेंशन योजना के नियमन के अनुसार पूरा किया जाना है। ₹ 1,186.98 करोड़ का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप, कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ता के अंशदान के साथ-साथ निवल हानि को ₹ 1,186.98 करोड़ कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने उसके द्वारा अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज को दो बार बुक किया जिसके परिणामस्वरूप आय को ₹ 3.90 करोड़ अधिक तथा उसी सीमा तक निवल हानि को कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने लेखांकन मानक 12 की आवश्यकता का उल्लंघन करते हुए विशिष्ट अचल संपत्तियों के लिए सहायता अनुदान को आय के रूप में माना तथा अनुदान से सृजित अचल संपत्तियों को अपनी अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्ति सकल ब्लॉक तथा आय को ₹ 139.46 करोड़ अधिक बताया गया। इसके अतिरिक्त मूल्यहास निधि को ₹ 33.10 करोड़ अधिक बताया गया था तथा वर्ष के लिए निवल हानि को ₹ 106.36 करोड़ कम बताया गया था।

दिल्ली वित्त निगम (2018-19)

- दि.वि.नि. ने रा.रा.क्षे.दि.स. से पूर्व अवधि के ऋण पर ₹ 3.18 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज को ए.एस-5 के उल्लंघन में वर्तमान वर्ष व्यय के रूप में बुक किया।

5.14 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक तथा कॉर्पोरेट इकाई के शासन की जिम्मेदारी के साथ प्रभारित लोगों के बीच वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संपर्क स्थापित करना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्घमों के वित्तीय विवरणियों पर सामग्री अवलोकन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा टिप्पणियों के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नि.म.ले.प. द्वारा देखी गयी अनियमितताओं या कमियों में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए “प्रबंधन पत्र” के माध्यम से भी प्रबंधन को सूचित किया गया था। वर्ष के दौरान, नि.म.ले.प. ने 14 कंपनियों/ निगमों को प्रबंधन पत्र जारी किये। इन प्रबंधन पत्रों में प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता वाली कमियों को उजागर किया गया था।

5.15 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2020 तक, दो सांविधिक निगमों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे।
- 2019-20 में लाभ कमाने वाले 10 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित ₹ 1,123.10 करोड़ के कुल लाभ में से, 94.94 प्रतिशत का अंशदान केवल पांच²⁷ रा.सा.क्षे.उ. द्वारा किया गया था। हानि में चल रहे सात रा.सा.क्षे.उ. को हुई ₹ 5,294.16 करोड़ कुल हानि में से ₹ 5,280.55 करोड़ की हानि दिल्ली परिवहन निगम को हुई थी। एक रा.सा.क्षे.उ. (शा.पु.वि.नि.) ने कोई लाभ/हानि अर्जित नहीं किया।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रा.सा.क्षे.उ. अपनी वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। जिसके परिणामस्वरूप, पांच सरकारी कंपनियों के 11 लेखे तथा एक सांविधिक निगम का एक लेखा 31 दिसम्बर 2020 तक बकाया थे।
- 2019-20 के दौरान, रा.सा.क्षे.उ. के वित्तीय विवरणियों पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 1,307.91 करोड़ तथा वित्तीय स्थिति पर ₹ 1,028.73 करोड़ रहा।

²⁷ दि.रा.औ.अ.वि.नि., प्र.पॉ.कं.लि., इं.पॉ.ज.कं.लि., दि.ट्रां.लि. तथा दि.पॉ.कं.लि.

5.16 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- रा.सा.क्षे.उ. की वित्तीय विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे क्योंकि लेखों को अंतिम रूप देने के अभाव में, ऐसे रा.सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधायिका की निगरानी से बाहर रहता है।
- लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अंशदान की जाने वाली लाभांश की न्यूनतम दर को निरूपित करते हुए एक लाभांश नीति तैयार करे।

नई दिल्ली
दिनांक: 20 सितम्बर 2021



(समर कांत ठाकुर)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 सितम्बर 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

